UPMZ010033392021

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी– (SMT. REKHASINGH), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06490

सत्र परीक्षण संख्या–721 सन् 2021

सरकार ————————————————————————————अभियोजन पक्ष।

बनाम

01. नईमुद्दीन उर्फ पप्पू पुत्र बदरूदीन, निवासी 451, खादरवाला, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर।
02. सलमान पुत्र अदनान, निवासी खालापार, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर।
03– शाकिब उर्फ भूरा पुत्र मुबारिक, निवासी वहलना रोड किदवईनगर, कोतवालीनगर, मुजफ्फरनगर। **(पत्रावली पृथक)**

..........................अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध सं0–917 सन् 2019,
अ0 धारा 147, 148, 323/149, 307/149, 427, 504, 506 भा0दं0सं0,
थाना–कोतवाली नगर, जिला मुजफ्फरनगर।

एवं

UPMZ010033762022

सत्र परीक्षण संख्या–571 सन् 2022

सरकार ————————————————————————————अभियोजन पक्ष।

बनाम

Digitally signed by REKHA SINGH
Date: 2026.07.25 17:04:07 IST
Reason: Judgement
Location: Addl. District and Sessions Court No. 06, MZN

एस.टी. 721 सन् 2021,
सरकार बनाम नईमुद्दीन आदि
धारा 147, 148, 323/149,
307/149, 427, 504, 506 भा.दं.सं.
एवं
एस.टी. 571 सन् 2022,
सरकार बनाम फैय्याज आदि
धारा 147, 148, 323/149,
307/149, 427, 504, 506 भा.दं.सं.

01– फैय्याज पुत्र बिद्दी,

02– सलमान पुत्र कासिम,

03– शाहनवान पुत्र बिद्दी,

04– रियाज पुत्र बिद्दी,

निवासीगण खादरवाला, थाना कोतवाली नगर, जिला मुजफ्फरनगर।

....अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध सं0–917 सन् 2019,
अ0 धारा 147, 148, 323/149, 307/149,
427, 504, 506 भा0दं0सं0,
थाना–कोतवाली नगर, जिला मुजफ्फरनगर।

निर्णय

अभियुक्त नईमुद्दीन के विरूद्ध अपराध संख्या 917/2019, धारा 147, 148, 149, 323, 307, 427, 504, 506 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत, थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त नईमुद्दीन का मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण उनके मामले को दिनांक 19.03.2021 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया जिसपर सत्र वाद संख्या 721/2021, राज्य बनाम नईमुद्दीन पंजीकृत हुआ। अभियुक्त फैय्याज आदि के विरूद्ध उपरोक्त अपराध संख्या, धारा, थाना एवं जिला की पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्त फैय्याज का मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण उनका मामला दिनांक 20.04.2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया जिस पर सत्र वाद संख्या 571 सन् 2022, राज्य बनाम फैय्याज पंजीकृत हुआ। उक्त दोनों सत्र परीक्षण निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुए। उक्त दोनों सत्र परीक्षण वाद दिनांक 30.05.2023 को समेकित किये गये तथा सत्र परीक्षण संख्या 721/2021 को लीडिंग केस बनाया गया है। अभियुक्त शाकिब उर्फ भूरा की पत्रावली पूर्व में पृथक की जा चुकी है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मैं सन्दीप जैन पुत्र पूरण चन्द जैन, निवासी 411 कृष्णापुरी खादरवाला हूं, अपने शोरूम दीप फर्नीचर पर रात लगभग 09 बजे बैठा हुआ था कि तभी मेरे शोरूम पर एक मुल्ला जी व एक लड़का लाल टी शर्ट में तथा दो लेडिज फर्नीचर देखने के बहाने हमारे नये नये फर्नीचर के फोटो लेने लगे उनको फोटो लेने के लिये मेरे बेटे ने मना किया तो वे गाली गलौज करने लगे तथा मेरे ऑफिस में आ गये तथ मेरे भी मना करने पर उन्होंने मारने की धमकी दी तथा कहा कि सालों तुम बाहर आओ हम तुम्हें देखेंगे तथ जान से मार देंगे, हमारे मौहल्ले में रहते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें फोटो लेने से मना कर दो तथा पांच मिनट के बाद वे 10, 12 लड़कों को लेकर आ गये और उन्होंने बेल्टो से मारना शुरू कर दिया। मैं तथा मेरा बेटा लहूलुहान हो गये, यह सारा वाका हमारे शोरूम में पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गया जिसमें मौके पर पुलिस पहुंच गयी, उनमें से चार लोग पकड़े गये बाकी भाग गये। वे हमें पीटते पीटते हमारे ऑफिस में गल्ले के पास तक आ गये उसमें उन्होंने क्या नुकसान किया वह हमें अभी पता नहीं है। पकड़े गये लड़कों के नाम 01 लाल टीशर्ट वाला फैय्याज पुत्र बिद्दी, 02 रियाज पुत्र बिद्दी, शाहनवाज पुत्र बिद्दी, सलमान पुत्र कासिम, निवासी खादरवाला खालापार है। आपसे अनुरोध है कि इन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें।

वादी मुकदमा की उक्त आशय की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर में अपराध संख्या 917 सन् 2019, धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 भा0दं0वि0, बनाम फैय्याज आदि के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जिसमें घटना कारित किये जाने का दिनांक 14.09.2019, समय 21:00 बजे व रिपोर्ट किये जाने का दिनांक 14.09.2019, समय 23:40 पी.एम., घटनास्थल वादी का फर्नीचर का शोरूम, खादरवाला रोड, मुजफ्फरनगर दर्शाया गया है जिसका विवरण जी.डी. संख्या 64, समय 23.40 बजे दिनांक 14.09.2019 को थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फनरगर में दिया गया तथा विवेचक को विवेचना दी गयी।

विवेचक ने गवाहों के बयान लिये और घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–04 बनाया व अन्य पुलिस अभिलेखों को प्राप्त किया तथा उसका उल्लेख

केस डायरी में किया और पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अपराध संख्या 917/2019, धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427, 307 भा0दं0वि0 में अभियुक्त नईमुद्दीन आदि के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया।

अभियुक्त नईमुद्दीन के विरूद्ध आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर ने दिनांक 06.12.2019 को प्रसंज्ञान लिया गया जिसका मुकदमा संख्या 8001/9/2019, राज्य बनाम नईमुद्दीन आदि में मुख्य न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के न्यायालय में पंजीकृत हुआ। मुल्जिमान को तलब किया गया, उनको नकलें दी गयी। अभियुक्तगण नईमुद्दीन आदि का मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण उनके मामले को दिनांक 19.03.2021 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया जिस पर सत्र वाद संख्या 721/2017, राज्य बनाम नईमुद्दीन आदि पंजीकृत हुआ। अभियुक्त फैय्याज के विरूद्ध आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर ने दिनांक 06.12.2019 को प्रसंज्ञान लिया गया जिसका मुकदमा संख्या 1280/9/2021, राज्य बनाम फैय्याज आदि में मुख्य न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के न्यायालय में पंजीकृत हुआ। मुल्जिमान को तलब किया गया, उनको नकलें दी गयी। अभियुक्त फैय्याज आदि का मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण उनके मामले को दिनांक 20.04.2022 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया जिस पर सत्र वाद संख्या 571/2022, राज्य बनाम फैय्याज पंजीकृत हुआ। उक्त दोनों सत्र परीक्षण निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुए। उक्त दोनों सत्र परीक्षण वाद दिनांक 30.05.2023 को समेकित किये गये तथा सत्र परीक्षण संख्या 721/2021 को लीडिंग केस बनाया गया है।

अभियुक्त नईमुद्दईीन आदि एवं फैय्याज आदि को आरोप पर सुना गया उनके विरूद्ध आरोप लगाये जाने का प्रथम दृष्टया अपराध पाये जाने पर उनपर धारा 147, 148, 323/149, 307/149, 427, 504, 506 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप लगाये गये जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण चाहा।

अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में पी.डब्लू. 01 सन्दीप जैन, पी.डब्लू. 02 राजेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया है। वादी द्वारा दिनांक 23.09.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 17ख जिसको ए.डी.जी.सी.

क्रि. द्वारा सम्मिट किया गया के आधार पर अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

अभियुक्तगण के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत दर्ज किये गये जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा साक्षी पी. डब्लू. 01 एवं पी.डब्लू. 02 के साक्ष्य को गलत बताया। मुकदमा मौहल्ले की रंजिश के कारण चलना, सफाई साक्ष्य प्रस्तुत न करने तथा और कुछ न कहने का कथन किया।

अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विवरण निम्न प्रकार हैः–

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–01 सन्दीप जैन वादी मुकदमा ने अपने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 14.09.2019 को रात्रि करीब 09 बजे मैं अपने शोरूम पर बैठा हुआ था तभी शोरूम पर एक बुजुर्ग, एक लड़का व दो महिलाएं आये। शोरूम पर फर्नीचर के फोटो लेने लगे। मैंने व मेरे लड़के शिवम ने मना किया तो गाली गलौज देकर कहने लगे कि रूकजा अभी देखते हैं। 10–15 मिनट बाद कुछ व्यक्ति अपने हाथों में डंडे व बैल्ट लेकर आ गये जिनके चेहरे ढके हुये व बंधे हुये थे। मारपीट की, तोड़फोड़ की तथा गल्ले से कुछ पैसे उठा लिये, भीड़ इकट्ठा हो गयी। मौहल्ले वालों ने चार व्यक्तियों को पकड़ा हुआ था, तभी पुलिस के व्यक्ति आ गये थे जिनको पकड़कर पुलिस थाने ले आई थी। पकड़े गये व्यक्तियों के नाम पते पुलिस को मौहल्ले वालों ने बताये थे, उसकी के आधार पर मैंने लिखकर थाने में तहरीर दी थी। लाल टीशर्ट वाले कई व्यक्ति थे। मैं मारपीट करने वालों के नाम पते स्वयं नहीं जानता था। पत्रावली पर पेपर संख्या 5 / 1 है जो वही तहरीर है जो मैंने अपने हस्तलेख में थाने में लिखकर दी थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता हूं। तहरीर पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–02 राजेन्द्र कुमार ने अपने सशपथ बयान में कथन किया कि मैं पहले म.नं. 16ए प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर में रहता था। संदीप जैन पुत्र पूरनचन्द जैन, निवासी 411 कृष्णापुरी खादरवाला अपने शोरूम दीप फर्नीचर पर रात 9 बजे बैठा हुआ था तभी इनके शोरूम पर एक मुल्ला जी व एक लड़का लाल टीशर्ट में तथा दो लेडीज फर्नीचर देखने के बहाने इनके

नये–नये फर्नीचर के फोटो लेने लगे, उनको फोटो लेने से मना किया तो ये गाली गलौज करने लगे और इनके ऑफिस आ गये और इनके मना करने पर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि बाहर आओ और हम तुम्हें जान से मार देंगे। हमारे मौहल्ले में रहते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फोटो लेने से मना कर दो तथा 5–10 मिनट बाद 5–10 लड़कों को लेकर आ गये तथा उन्होंने बेल्टो से मारना शुरू कर दिया। संदीप जैन पुत्र पूरनचन्द जैन तथा इनका बेटा उत्कर्ष लहूलुहान हो गये। सारा वाक्या मेरे सामने हुआ। मौके पर पुलिस आ गयी तथा चार लोग पकड़े गये। शेष मुल्जिम भाग गये। मुल्जिमान हमें पीटते–पीटते गल्ले के पास आ गये। पकड़े गये लड़कों के नाम लाल टीशर्ट वाला फैय्याज पुत्र बिद्दी, रियाज पुत्र बिद्दी, शाहनवाज पुत्र बिद्दी, सलमान पुत्र कासिम, निवासीगण खादरवाला खालापार के थे ये लोग मौके पर पकड़े गये थे। मैं घटनास्थल पर मौजूद था। मैंने घटना दिनांकित 14.09.2019 देखी थी।

क.सं.	**साक्षी**	**साबित किया गया प्रदर्श**
01	पी.डब्लू. 01 मौहम्मद मुईदुर्रहमान	तहरीर प्रदर्श क–01
02	पी.डब्लू. 02 नजीबुर्रहमान	कोई पेपर साबित नहीं किया।

1. क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं, इसके लिए उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण एवं मूल्यांकन पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों के प्रकाश में व मामले के तथ्यों परिस्थितियों में किया जाना आवश्यक है, जो कि किया जा रहा है।

2. मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर विद्यमान सम्पूर्ण साक्ष्यों का गहनतापूर्वक परिशीलन किया।

3. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि साक्षी पी.डब्लू. 01 जो कि इस मुकदमे का वादी है उसके द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क–01 में अभियुक्तगणों का पहचान सहित नाम बताया है। उसके द्वारा अपनी तहरीर में स्पष्ट रूप से यह

अंकित किया गया है कि पकड़े गये लड़के लाल टीशर्ट वाला फैय्याज पुत्र बिद्दी, रियाज पुत्र बिद्दी, शाहनवाज पुत्र बिद्दी एवं सलमान पुत्र कासिम, निवासी खादरवाला खालापार हैं। वादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी तहरीर के कथनों का पूर्णतः समर्थन करते हुए यह कहा है कि उसने थाने में तहरीर लिखकर दी थी। अपनी जिरह में उसके द्वारा यह कहा गया है कि वह हाजिर अदालत मुल्जिमान फैय्याज, रियाज, शाहनवाज एवं सलमान को जानता है। शाकिब उर्फ भूरा व नइमुद्दीन उर्फ पप्पू को भी जानता है, पडोस के निवासी है। इसके उपरान्त वादी द्वारा अपनी जिरह में यह स्पष्ट इंकार कर दिया गया कि दिनांक 14.09.2021 को उसके और उसके पुत्र के साथ कोई मारपीट नहीं की, न कोई गाली–गलौज की, न कोई नुकसान पहुंचाया और न ही प्राणघातक हमला किया। इसके साथ ही यह स्पष्ट है कि दिनांक 14.09.2021 को घटना के समय बहुत भीड़ इकट्ठा हो गयी थी और उसने उनके कहे अनुसार रिपोर्ट लिखाई थी, उसके साथ मारपीट करने वाले और गल्ले से पैसे निकालने वालों में हाजिर अदालत मुल्जिमान नहीं थे। साक्षी पी.डब्लू. 02 जो कि वादी का पड़ोसी है, उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 14.09.2021 की घटना बताया है और यह भी कहा है कि मौके पर पुलिस आ गयी थी और 04 लोग पकड़े गये थे। पकड़े गये लड़कों के नाम लाल टीशर्ट वाला फैय्याज पुत्र बिद्दी, रियाज पुत्र बिद्दी, शाहनवाज पुत्र बिद्दी और सलमान पुत्र कासिम, निवासी खादरवाला खालापार के थे। मैं घटनास्थल पर मौजूद था, उसने दिनांक 14.09.2021 की घटना देखी थी। जिरह में इस साक्षी द्वारा यह कहा गया है कि रात में अंधेरा होने के के कारण व मुंह पर कपड़ा बंधे होने के कारण वह उन लोगों को पहचान नहीं पाया था, लेकिन उसने यह कहा है कि हाजिर अदालत फैय्याज पुत्र बिद्दी, रियाज पुत्र बिद्दी, शाहनवाज पुत्र बिद्दी और सलमान पुत्र कासिम, नईमुद्दीन उर्फ पप्पू पुत्र अज्ञात, शाकित पुत्र अज्ञात को नहीं जानता है और न ही उसने दिनांक 14.09.2019 को मारपीट करते हुए देखा।

4. उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा अपनी तहरीर में या अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहीं नहीं बताया कि जो लोग उसके शौरूम में घुसे थे उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, बल्कि इसके अतिरिक्त उसने उनके नाम और पहचान भी बतायी है जिससे यह स्पष्ट है कि वादी अभियुक्तगणों को जानता था क्योंकि वह उसके

पड़ोसी भी हैं और घटना के समय उसने अपने बेटे को भी फर्नीचर की दुकान में होना कहा है। यह संदिग्ध प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई उसने 14.09.2019 को रिपोर्ट भी लिखाई और उस रिपोर्ट में उसने मुल्जिमान के नाम लिखकर दरोगा जी को दिये गये। बयान में भी उसने मुल्जिमानों के नाम बताये और दूसरी ओर उसके द्वारा मुल्जिमानों के द्वारा घटना किये जाने से बिल्कुल इंकार कर दिया जिससे यह प्रतीत होता है कि या तो गवाह किसी दवाब में है या उसके द्वारा झूठ बोला गया क्योंकि गवाह के बयान में इतना विरोधाभास है कि उसको समझना समझ से परे हैं। उसके द्वारा यह कहा गया कि उसके चोट धक्का–मुक्की में लगी थी, परन्तु धक्का–मुक्की बिना कारण के किसने की और कब की यह नहीं बताया गया है।

5. जहां तक साक्षी पी.डब्लू. 02 की गवाही का प्रश्न है, उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में वादी के कथनों का पूर्णतः समर्थन किया और उसके बाद उसने घटना मुल्जिमानों द्वारा करने से इंकार कर दिया था। उसने यह कहा है कि दिनांक 14.09.2019 को वह घटनास्थल पर मौजूद था और उसने घटना देखी थी जिससे यह स्पष्ट है कि मुल्जिमान द्वारा घटना कारित की गयी। जहां तक मुल्जिमान के मुंह पर कपड़ा बांधे होने का प्रश्न है यह कथन वादी द्वारा कहीं भी नहीं किया गया कि अभियुक्तगण को वह नहीं पहचान सका। उसने स्पष्ट रूप से उनका नाम बताया है। साक्षी पी.डब्लू. 02 द्वारा भी अपनी जिरह में बताया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा अपनी गवाही में कोई विस्तार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगणों के नाम व पहचान स्पष्ट रूप से बताये हैं, क्योंकि यह वादी के शौरूम पर रात 09 बजे बैठा था, इसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि मौके पर पुलिस भी आ गयी थी और 04 लोग पकड़े गये थे और उन पकड़े गये 4 व्यक्तियों के नाम इसके द्वारा बताये गये हैं। अभियुक्तगण की ओर से दस्तावेजों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है। अभियुक्तगण द्वारा अपने विरूद्ध दाखिल तहरीर, आरोप पत्र को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया और वादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया गया। जहां तक उसकी प्रति परीक्षा का प्रश्न है तो वह संदिग्ध है, क्योंकि यदि वह मुल्जिमानों को नहीं जानता था तो उसके द्वारा तहरीर

में मुल्जिमानों के नाम क्यों लिखकर दिये थे? जैसा कि पी.डब्लू. 01 ने कहा है कि मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी और उन्हीं के कहने से उसने नाम लिखा दिये, लेकिन यह भी व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता कि भीड़ अकारण एकत्रित हुई हो और भीड़ में किसी ने वादी को लाल टीशर्ट वाला फैय्याज है ऐसी कोई पहचान बतायी हो, क्योंकि अभियुक्तगण वादी के मौहल्ले के पड़ोसी है इसलिये उसके लिए पहचानना कठिन नहीं है।

6. जहां तक धारा 147 व 148 भा.दं.सं. का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण फैय्याज, रियाज, सलमान पुत्र कासिम, शाहनवाज, नईमुइउ्दीन एवं सलमान पुत्र अदनान के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति की न तो कोई शिनाख्त की गयी और न ही किसी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण के हाथ में क्या—क्या हथियार थे यह भी नहीं बताया गया है। अज्ञात व्यक्तियों की कोई शिनाख्त नहीं की गयी। वादी द्वारा भी अपने बयान में अन्य किसी का नाम नहीं बताया गया और अभियुक्तगण द्वारा यह घटना शौरूम में जाने पर अचानक से किसी बात को लेकर कहा सुनी होने पर घटित हुई जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण ने एक राय होकर आयुधों से सज्जित होकर वादी पर हमला किया हो। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148 भा.दं.सं. का अपराध बनना प्रतीत नहीं होता है।

7. इसके अतिरिक्त जहां तक धारा 307 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. का प्रश्न है वादी द्वारा भी अपने तहरीर में और बयान में यह कहा है कि जब अभियुक्तगणों को फोटो लेने से मना किया गया तो उसके पांच मिनट बाद 10—12 लड़कों को लेकर आ गये और बेल्टो से मारना शुरू कर दिया, वह और उसका बेटा लहूलुहान हो गये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मौके पर पुलिस का आना साक्षी पी.डब्लू. 02 द्वारा बताया गया है और पत्रावली पर चिकित्सीय आख्या दाखिल है जिसमें कोई भी ऐसी चोट नहीं दर्शायी गयी है जो प्राणघातक हो और किसी चिकित्सक का बयान भी पत्रावली पर नहीं है। साथ ही धारा 307 भा.रदं.सं. के लिए जो व्यक्ति का आशय होना चाहिए वह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वादी द्वारा अभियुक्तगण से कोई पुरानी रंजिश या ऐसा कारण वादी द्वारा हमला किये जाने का

नहीं बताया गया है, इसलिये अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. का भी अपराध बनता प्रतीत नहीं होता है।

8. वादी द्वारा यह भी कहा गया है कि अभियुक्तगण ने शौरूम में रखे सामान की तोड़फोड़ की तथा गल्ले में रखे पैसे उठा ले गये, परन्तु किसी सामान की तोड़फोड़ या गल्ले से पैसे उठाये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और न ही अभियोजन द्वारा इस कथन के संदर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, न ही वादी द्वारा यह बताया गया कि उसका क्या सामान टूटा या उसके गल्ले से कितने पैसे चुराये गये। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 427 भा.दं.0सं. का अपराध बनना प्रतीत नहीं होता है।

9. धारा 504, 506 भा.दं.सं. के संबंध में वादी द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक 14.09.2019 को रात्रि करीब 09 बजे एक बुजुर्ग, एक लड़का और दो महिला आयी। शौरूम के फर्नीचर की फोटो लेने लगे जब उसने और उसके लड़के शिवम ने मना किया तो गाली गलौज देकर कहने लगे कि रूकजा अभी देखते हैं और कुछ देर बाद अपनी हाथों में डण्डे व बेल्ट लेकर आ गये, मौके पर पुलिस आ गयी। वादी द्वारा अपनी तहरीर में और अपने बयान में कहा है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। तहरीर में भी यद्यपि कहा है कि बाहर आओ हम तुम्हें देखेंगे और जान से मार देंगे, मौहल्ले में रहते हुए तुम्हारी इतना हिम्मत कि हमें फोटो लेने से मना करो। वादी द्वारा अपनी तहरीर के कथनों को अपनी मुख्य परीक्षा में साबित किया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 504, 506 भा.दं.सं. का अपराध बनना प्रतीत होता है।

10. मारपीट किये जाने के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वादी और साक्षी पी.डब्लू. 02 द्वारा जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है उसके द्वारा अपने बयान में यह स्पष्ट कहा गया है कि अभियुक्तगण मारपीट करने लगे और 10–15 लड़कों को लेकर आये, बेल्टो से मारना शुरू कर दिया। संदीप जैन और उसके बेटे उत्कर्ष लहूलुहान हो गये। साक्षी पी.डब्लू. 01 द्वारा भी यह कहा गया कि उन व्यक्तियों ने मारपीट की और बेल्टो और डण्डो से मारा। वादी द्वारा और चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा वादी और उसके बेटे के साथ हुई मारपीट के कथानक का समर्थन किया गया है और धारा 323 भा.दं.सं. के तहत किसी मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती

है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323 भा.दं.सं. का अपराध बनना प्रतीत होता है।

11. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में जो गवाह परीक्षित कराये गये हैं, उन्होंने मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है। यद्यपि प्रति परीक्षा में इन्कार किया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि घटना तो घटित हुई है। वादी द्वारा कथानक का समर्थन किया गया है।

12. इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण धारा 147, 148, 307 सपठित धारा 149, 427 भा.दं.सं. के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है। दोषमुक्त किया जाता है।

13. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323 सपठित धारा 149, 504, 506 भा.दं.सं. का अपराध बनना प्रतीत होता है, अतः अभियुक्तगण धारा 323 सपठित धारा 149, 504, 506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। दोषसिद्ध किया जाता है।

14. अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा के प्रश्न पर सुनने हेतु पत्रावली पुनः लंचबाद पेश हो।

(श्रीमती रेखा सिंह)
दिनांक 25.07.2026
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।
आई.डी. नं. यू.पी.0649

लंचबादः–

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दण्ड के प्रश्न पर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण नवयुवक है, उनके छोटे–छोटे बच्चे हैं तथा वे अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाले घर में अकेले हैं। अतः अभियुक्तगण को कम से कम सजा से दण्डित किया जाए।

अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी, फौजदारी द्वारा अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के शौरूम में घुसकर गाली–गलौच करते हुए मारपीट करके गम्भीर चोटें पहुंचाई गयी है तथा शौरूम में तोड़फोड़ करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी है, इसलिये अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा से दण्डित किया जाए।

सुना गया।

अभियुक्तगण फैय्याज, रियाज, सलमान पुत्र कासिम, शाहनवाज, नईमुइउ्दीन एवं सलमान पुत्र अदनान द्वारा वादी मुकदमा के शौरूम में घुसकर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर गम्भीर उपहति कारित की गयी है तथा जान से मारने की धमकी दी गयी है। इस प्रकार अभियुक्तगण का यह अपराध गंभीर प्रकृति का है। इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण कोई सहानुभूति पाने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता तथा अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति आदि को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण फैय्याज, रियाज, सलमान पुत्र कासिम, शाहनवाज, नईमुइउ्दीन एवं सलमान पुत्र अदनान **प्रत्येक** को भा.दं.सं. की धारा 147 के आरोप के अंतर्गत 1,000/–रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह (एक माह) के अतिरिक्त कारावास से, धारा 148 के आरोप के अन्तर्गत 1,000/–रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह (एक माह) के अतिरिक्त कारावास से, धारा 323 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत अंकन 1,000/–रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदंड से अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन (पन्द्रह दिन) के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाना इस न्यायालय की राय में न्यायोचित होगा।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या 721 सन् 2021, राज्य बनाम नईमुद्दीन आदि, मु.

अ.सं. 917 सन् 2019, थाना कोतवाली नगर, जिला मुजफ्फरनगर के मामले में अभियुक्तगण 01.नईमुद्दीन उर्फ पप्पू पुत्र बदरूदीन, निवासी 451, खादरवाला, थाना कोतवालीनगर, मुजफ्फरनगर एवं 02. सलमान पुत्र अदनान, निवासी खालापार, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर **प्रत्येक** को भा.दं.सं. की धारा 147 के आरोप के अंतर्गत अंकन 1,000 / –रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह (एक माह) का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे, धारा 148 के आरोप के अन्तर्गत अंकन 1,000 / –रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड से अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदा न करने पर 01 माह (एक माह) का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे तथा धारा 323 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत अंकन 1,000 / –रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन (पन्द्रह दिन) का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे।

सत्र परीक्षण संख्या 571 सन् 2022, राज्य बनाम फैय्याज आदि, मु.अ. सं. 917 सन् 2019, थाना कोतवाली नगर, जिला मुजफ्फरनगर में अभियुक्तगण 01–फैय्याज पुत्र बिद्दी, 02–सलमान पुत्र कासिम, 03–शाहनवान पुत्र बिद्दी एवं 04–रियाज पुत्र बिद्दी, निवासीगण खादरवाला, थाना कोतवाली नगर, जिला मुजफ्फरनगर **प्रत्येक** को भा.दं.सं. की धारा 147 के आरोप के अंतर्गत अंकन 1,000 / –रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह (एक माह) का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे, धारा 148 के आरोप के अन्तर्गत अंकन 1,000 / –रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड से अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदा न करने पर 01 माह (एक माह) का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे तथा धारा 323 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत अंकन 1,000 / –रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन (पन्द्रह दिन) का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे।

अभियुक्तगण उपरोक्त की उपर्युक्त सभी सजायें साथ चलेंगी।

अभियुक्तगण द्वारा जिला कारागार में बिताई की अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है, उन्हें उचित वारण्ट सहित सजा भुगतने के लिए जिला कारागार, मुजफ्फरनगर भेजा जाये।

एस.टी. 721 सन् 2021,
सरकार बनाम नईमुद्दीन आदि
धारा 147, 148, 323 / 149,
307 / 149, 427, 504, 506 भा.दं.सं.
एवं
एस.टी. 571 सन् 2022,
सरकार बनाम फैय्याज आदि
धारा 147, 148, 323 / 149,
307 / 149, 427, 504, 506 भा.दं.सं.

इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 571 सन् 2022, राज्य बनाम फैय्याज आदि, मु.अ.सं. 917 सन् 2019, थाना कोतवाली नगर, जिला मुजफ्फरनगर की पत्रावली पर रखी जाए।

इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाये।

उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 14.09.2019 में जो तहरीर दी गयी उसके बाद उसके बयान दिनांक 30.05.2023 को न्यायालय में अंकित किये गये, कई 07 वर्षों तक मुकदमे का विचारण चला और वादी द्वारा न्यायालय में आकर विरोधाभासी बयान दिया गया, इसलिये वादी के विरूद्ध धारा 344 दं.प्र.सं. के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाए।

(श्रीमती रेखा सिंह)
दिनांक 25.07.2026 — अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।
आई.डी. नं. यू.पी.06490

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती रेखा सिंह)
दिनांक 25.07.2026 — अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।
आई.डी. नं. यू.पी.06490